कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला धार

क्र0/जिव्याउके-धार/एमएसएमई/2024/1179 धार दिनांक 11-09-2024

-::आदेश::-

प्रमुख सचिव म.प्र.शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक2031/ए-11/2024/नि.स.क./भोपाल दिनांक 24.8.2024 में निदेशानुसार अर्न्तविभागीय समन्वय हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं निवेश समिति का गठन किया जाना है -

निवेश प्रोत्साहन केंद्र को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने केंद्र के कार्यक्रलापों की समीक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रहे आवेदनों/प्रकरणों/समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निवेश परियोजनाओं के सुगम क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय हेतु जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है -

1	जिला कलेक्टर धार	अध्यक्ष
2	वन मंडल अधिकारी धार	सदस्य
3	कार्यकारी संचालक एम.पी.आई.डी.सी. जिसकी अधिकारिता में जिला आता है या उसका प्रतिनिधि जो उपसंचालक/महाप्रबंधक की पद श्रेणी से नीचे का नहीं होगा	सदस्य
4	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी इंदौर	सदस्य
5	जिले की संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का वरिष्ठतम अधिकारी जिसके अधीन वह जिला आता है	सदस्य
6	जिला अधिकारी नगर एवं ग्राम निवेश धार	सदस्य
7	जिला अधिकारी श्रम विभाग धार	सदस्य
8	उपायुक्त/सहायक आयुक्त राज्य कर धार एवं पीथमपुर	सदस्य
9	क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदुषण मंडल जिसकी अधिकारिता में जिला आता है	सदस्य
10	जिला अग्रणी प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक धार जिसकी अधिकारिता में जिला आता है	सदस्य
11	जिला खनिज अधिकारी धार	सदस्य
12	आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी धार	सदस्य
13	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र धार एवं पीथमपुर	सदस्य
14	आवश्यकतानुसार अन्य आंमत्रितगण	सदस्य
15	नोडल अधिकारी निवेश प्रोत्साहन केंद्र	सदस्य सचिव

समिति के दायित्व निम्नानुसार होगें-

1. निवेश परियोजनाओं/उद्योगों के कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अनुमतियां/अनापतियां/ अनुज्ञप्तियां आदि को समय सीमा में प्रदाय करना सुनिश्चित करना ।
2. निवेश परियोजना/उद्योगों की स्थापना से संबधित समस्त प्रकार की अनुमतियां/अनापतियां/ अनुज्ञप्तियां का नवीनीकरण को समय सीमा में उपलब्ध कराना।
3. निवेश परियोजना/उद्योग की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही करना जिनका निराकरण जिला स्तर पर निराकरण न संभव हो के निराकरण के लिये राज्य शासन के संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना ।
4. निवेश परियोजना/उद्योग की स्थापना संबंधी अनुमतियां/अनापत्तियां/ अनुज्ञप्तियां आदि प्रदाय करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु परामर्श एवं सुझाव देना ।
5. निवेश प्रोत्साहन केन्द्र के सुगम संचालन हेतु समर्थन यथा आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना ।
6. निवेश परियोजनाओं का निश्चित समयावधि में सेवा प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा अधिशासित अधिनियमां यथा मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम 2023 एवं मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधानों/समयावधि के अनुरूप जिला स्तरीय सेवाओं का निधारित समयावधि में प्रदाय सुनिश्चित करना ।

7 निवेश प्रोत्साहन केंद्र के कार्यकलापों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण ।

8. जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक माह अनिवार्यतः आहूत की जावे । आवश्यक होने पर बैठक को माह में एक बार से भी अधिक आहूत किया जा सकता है। बैठक में विगत माह प्राप्त आवेदन एवं उसके निराकरण की समीक्षा की जावेगी और समित के दायित्वांे के पालन में कार्यवाही की जावेगी।

9. समिति प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगी।

कलेक्टर
जिला धार

पृ0क्र0/जिव्याउके-धार/एमएसएमई/2024/ 1180-1199 धार दिनांक 11-09-2024

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग वल्लभ भवन भोपाल
2. उद्योग आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) उद्योग संचालनालय भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर।
4. उप सचिव म.प्र.शासन मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
5. कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी इंदौर।
6. संयुक्त संचालक परिक्षेत्रीय इंदौर (समिति सदस्य)।
7. क्षेत्रीय अधिकारी/उपसंचालक/महाप्रबंधक एमपीआईडीसी कार्यालय इंदौर (समिति सदस्य) ।
8. वन मण्डलाधिकारी वन मंडल धार (समिति सदस्य) ।
9. सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश धार (समिति सदस्य)।
10. जिला पदाधिकारी श्रम विभाग धार (समिति सदस्य)।
11. उपायुक्त/सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर धार (समिति सदस्य)।
12. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड धार (समिति सदस्य)।
13. महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार(समिति सदस्य)।
14. जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक आफ इंडिया धार(समिति सदस्य)।
15. जिला खनिज अधिकारी खनिज विभाग धार (समिति सदस्य)।
16. अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी धार(समिति सदस्य)।
17. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका धार (समिति सदस्य)।
18. नोडल अधिकारी निवेश प्रोत्साहन केन्द्र धार (सदस्य सचिव) ।
19. प्रभारी अधिकारी नाजिर शाखा कार्यालय कलेक्टर धार की ओर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित करने हेतु पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला धार

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला धार

क्र0/जिव्याउके–धार/एमएसएमई/2024/1158 धार दिनांक 11-09-2024

–::आदेश::–

प्रमुख सचिव म.प्र.शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग भोपाल के आदेश कमांक2031/ए–11/2024/नि.स.क./भोपाल दिनांक 24.8.2024 के अर्न्तविभागीय समन्वय हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं निवेश समिति का गठन करते हुए जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना है।

उक्त आदेश के परिपालन में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार को निवेश प्रोत्साहन केन्द्र का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के सदस्य सचिव भी होगें।

sd कलेक्टर
जिला धार

पृ0क0/जिव्याउके–धार/एमएसएमई/2024/1159-1178 धार दिनांक 11-09-2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग वल्लभ भवन भोपाल
2. उद्योग आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) उद्योग संचालनालय भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर।
4. उप सचिव, म.प्र.शासन मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
5. कार्यकारी संचालक,एमपीआईडीसी इंदौर।
6. संयुक्त संचालक परिक्षेत्रीय इंदौर (समिति सदस्य)।
7. क्षेत्रीय अधिकारी/उपसंचालक/महाप्रबंधक ,एमपीआईडीसी कार्यालय इंदौर (समिति सदस्य) ।
8. वन मण्डलाधिकारी, वन मंडल धार (समिति सदस्य) ।
9. सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश धार (समिति सदस्य)।
10. जिला पदाधिकारी, श्रम विभाग धार (समिति सदस्य)।
11. उपायुक्त/सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर धार (समिति सदस्य)।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड धार (समिति सदस्य)।
13. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,धार(समिति सदस्य)।
14. जिला अग्रणी प्रबंधक,बैंक आफ इंडिया धार(समिति सदस्य)।
15. जिला खनिज अधिकारी, खनिज विभाग, धार (समिति सदस्य)।
16. अधीक्षण यंत्री, विद्युत वितरण कंपनी धार(समिति सदस्य)।
17. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका धार (समिति सदस्य)।
18. नोडल अधिकारी, निवेश प्रोत्साहन केन्द्र धार (समिति सचिव) ।
19. प्रभारी अधिकारी, नाजिर शाखा, कार्यालय कलेक्टर धार की ओर निवेश प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित करने हेतु पालनार्थ।

-Sd.
कलेक्टर
जिला धार